

कार्यालय : मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तराखण्ड  
4 - सुभाष रोड़, सचिवालय परिसर, देहरादून - 248001

फोन नं 0 (0135) - 2712055, 2713551  
फैक्स नं 0 (0135) - 2712014, 2713724

संख्या 691 / XXV-12 / 2008 (P-3)

देहरादून : दिनांक 23 जुलाई, 2015

सेवा में,

श्री हर्ष वर्द्धन,  
पुत्र श्री २यामाचरण शास्त्री,  
ग्राम व पो0आ०-नौसर,  
तहसील- खटीमा,  
जिला- उधमसिंहनगर।

विषय:- सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत चाही गयी सूचना के संबंध में।  
महोदय,

उपरोक्त विषयक अपने सूचना अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित आवेदन पत्र दिनांक 08 जुलाई, 2015 का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचनायें उपलब्ध कराये जाने का अनुरोध किया गया है। उक्त आवेदन पत्र के माध्यम से वांछित बिन्दु पर चाही गयी सूचना के संबंध में आपको लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा - 19. रजिस्ट्रीकरण की शर्तें की प्रति संलग्न प्रेषित की जा रही है।

यदि आप उपरोक्त उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं से सन्तुष्ट न हों तो विभागीय अपीलीय अधिकारी के सम्मुख निम्न पते पर अपील प्रस्तुत कर सकते हैं:-

विभागीय अपीलीय अधिकारी एवं  
संयुक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी,  
उत्तराखण्ड, 04-सुभाष रोड़,  
सचिवालय परिसर, देहरादून।

कृपया प्राप्ति स्वीकार करने का कष्ट करें।

संलग्न-यथोपरि।

भवदीय,

  
(मर्स्टू दास)

अनुभाग अधिकारी एवं  
लोक सूचना अधिकारी



सेवा में, श्रीमान् लोक सूचना कार्डिनार् | मुख्य निवासन आपूर्ति  
उत्तराखण्ड निवासन आयोग, देहरादून

विषय :- लोक सूचना कार्डिनार् कार्डिनेयम् २००५ के तहत  
सूचना कार्डिनेयम् २००५ के तहत सूचना कार्डिनेयम् २००५ के तहत

महादय, जापी कार्डोहस्ताकारी, लोक सूचना कार्डिनार्  
आधिनियम् २००५ के तहत सूचना कार्डिनेयम् २००५ के तहत पार्टी  
पर एविसं करता है; क्षमतः जापना है कि जापी की  
नियम निवासन के अनुसार सूचना कुपलब्ध कराने की  
कृपा की जावे:-

- १- जापी का नाम :- हर्ष बहुन  
श्री श्रीमान्नराज शास्त्री
- २- पिता का नाम :- गोलर  
गाम नं पो० आ० - गोलर
- ३- पता-नाम | सम्पर्क  
का पता :- नामीभा  
जिला - उदम सिंह वार्ड  
संपर्क - २६२३००

४- इच्छित सूचना का स्पष्ट विवरण :-

“मेरा महादय सादर निवेदन है कि पूर्व में बालिग  
होने की उम्र २२ वर्षीयी, बाल में १४ वर्ष पूर्व  
होने पर बालिग माना जाने लगा तथा मतदान  
का कार्डिनार् जापे द्वारा, तथा पूर्व में २२ वर्ष  
पूर्व होने पर बालिग माना जाता जा तथा तथा मतदान  
का कार्डिनार् बालिग होने पर मिलता था, कृपया  
उक्त सम्बन्ध में मारत सरकार से व्यक्ति को किये  
जिये से कुछ तिथि तात्परा - २२ वर्ष पूर्व होने पर  
बालिग मानते हुए मतदान का कार्डिनार् प्रदान  
किया जाता है तिथि से १४ वर्षीयों को उम्र पूर्व  
होने पर बालिग माना जाने लगा तथा मतदान का  
कार्डिनार् जापे द्वारा।”

“उक्त प्रदिव्यप्रधान में कार्डिनेयम् आयोजित  
में बोडी शासनाद्वारा शाजपली | जी.ओ. भारत विदेशी  
द्वारा, जारी किया होने तो उसकी पहलीप्रधान  
प्रतियोगीता रूपरूप सूचना के कुपलब्ध कराने की कृपा  
करें।”

५- सूचना जीवन या स्वतन्त्रता से सम्बन्धित होने का विवरण  
(यदि लागू हो) :- लागू नहीं;

६- सम्बन्धित विभाग का नाम :- विजानिन आयोग उत्तराखण्ड  
७- गठिती रूपों से चीजों का जाय प्रमाण पता (यदि लागू  
हो) :- लागू नहीं;

८- बालों का विवरण :- १०।- क्र० का ग्राम न्यायिक  
स्थान नं २५ आ० ५०१५१७ — मुख्य मे संलग्न है;

९- जापना पता-मेजबाजी की तिथि :- दिनांक ०१-०७-  
२०१५ को राजिं डाक से लेयित

१०- कार्डिनार् की इस्ताकार :-

— दिनांक :- ४/७/२०१५

हर्ष बहुन  
पुल श्रीमान्नराज शास्त्री  
जिला - गोलर  
तहसील - गोलर